प्रतिलिपि आदेश दिनांक 15–9–15 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक निग0 3090–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–6–15 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण कमांक 24/अ–6–अ/2013–14.

———

श्री मैनेजर चौबे पुत्र श्री रघुवंश चौबे,
निवासी 45, किंग्सवे मोटर्स, सदर
जबलपुर म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ——— अनावेदकगण

———

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग. 3090-एक/15 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.9.15	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 24/अ-6-अ/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 15-6-15 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा कलेक्टर ने आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से अहस्तांतरणीय शब्द हटाये जाने बावत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं राजस्व मंडल द्वारा प्र0क0 निगरानी 3029-एक/12 में पारित आदेश दिनांक 6-2-13 तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि राजस्व मंडल द्वारा उक्त प्रकरण में आवेदक रज्जोबाई को मौजा पड़रिया प.ह.नं. 48/63 रा.नि.मं. बरगी जिला जबलपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 9 रकबा 2.95 हैक्टर एवं खसरा नं. 10 रकबा 1.47 हैक्टर भूमि को आवेदक को विक्रय करने की अनुमति दी गई है । राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 6-2-13 द्वारा दी गई प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति के उपरांत आवेदक श्री मैनेजर चौबे द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय किया गया है । तहसीलदार द्वारा उक्त विक्रयपत्र के आधार पर आवेदकों का नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में अंकित किए जाने के आदेश दिए गए हैं साथ ही खसरे में अहस्तांतरणीय शब्द अंकित कर दिया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में खसरों में अहस्तांतरणीय शब्द अंकित करना अवैधानिक है क्योंकि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय किया गया है । संहिता की धारा 165 (7-ख) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार सक्षम अधिकारी की अनुमति क्रय की गई भूमि पर क्रेता के नाम के आगे अहस्तांतरणीय शब्द अंकित किया जायेगा और ना ही ऐसा कोई प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त होने के उपरांत भूमि क्रय किये जाने के बाद क्रेता द्वारा पुनः कलेक्टर से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उक्त तथ्यों को तथा संहिता की धारा 165 (7-ख) के प्रावधानों को अनदेखा किया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर द्वारा अहस्तांतरणीय शब्द	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विलोपित करने के आदेश न देने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की है । अतः उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 24/अ-6-अ/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 15-6-15 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है । तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के नाम के सामने अंकित अहस्तांतरणीय शब्द (राजस्व अभिलेखों) खसरे आदि से विलोपित किया जाये और तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किए जायें । सदस्य	